"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर 2002—आश्विन 3, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 26 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश विधेयक 2002

छत्तीसगढ़ में स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अधिनियम 2002" होगा,

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये होगा,

(3) यह छत्तीसगढ़ के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" में, 1 नवम्बर 2000 के पूर्व विद्यमान राज्य सरकार सम्मिलित होना.

2. अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" में, 1 नवंबर 2000 के पूर्व विद्यमान राज्य सरकार, उस क्षेत्र के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित विद्यमान क्षेत्र हो, सम्मिलित है तथा सदैव सम्मिलित समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों से विनियमित होना.

3. छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों से विनियमित किया जायेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

4. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार समय-समय पर नियम बना सकेगी तथा बनाए गए नियमों को समय-समय पर संशोधित भी कर सकेगी,

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

व्यावृत्ति.

5. (1) छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम 2002 इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम माने जायेंगे,

(2) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम 2002 के अंतर्गत की गई समस्त कार्रवाई तथा किये गये समस्त कृत्य भी इस अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई और किये गये कृत्य समझे जायेंगे.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. छत्तीसगढ़ के सुदूर ग्रामीण अंचलों में चिकित्सकों की अत्यंत कमी है. इस कमी को दूर करने के अनेक प्रयास राज्य शासन ने किये हैं. इसी कड़ी में राज्य शासन ने चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये 2 वर्षों की ग्रामीण सेवा को अनिवार्य बनाने का नियम भी बनाया है. इस नियम का बड़ा अनुकूल प्रभाव हुआ है, और इसके फलस्वरूप स्नातकोत्तर अध्ययन करने के इच्छुक अनेक चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये तैयार हो गए हैं. अब यह समीचीन समझा गया कि इन नियमों को कानून की शक्ति प्रदान की जाये, और इस हेतु यह विधेयक लाया जा रहा है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
तारीख : 20 सितम्बर, 2002

कृष्ण कुमार गुप्ता
भारसाधक सदस्य

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधान निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश विधेयक 2002 के खण्ड 4 एवं 5 के अधीन राज्य सरकार की अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.